न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–47(A)/2015

CIS NO TS 270/2018

सत्यदेव प्रसाद एवं अन्य...वादीगण

बनाम

रूपनारायण प्रसाद एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
07.05.2025	वादीगण की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 15.10.2020 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–02 नकछेद प्रसाद की मृत्यु दिनांक 17.06.2020 को हो चुका है। मृतक अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में दो लडके मनमोहन प्रसाद एवं बिपिन कुमार गुप्ता को छोडकर मरे तथा उनकी पत्नी की मृत्यु उनके जीवनकाल में ही हो चुका है। अतः प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार कर मृतक के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–02 नकछेद प्रसाद की मृत्यु हो चुकी है, जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। नियमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 15.10.2020 स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार मृतक के स्थान पर आवेदन में वर्णित मृतक के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति	

न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–47(A)/2015

CIS NO TS 270/2018

सत्यदेव प्रसाद एवं अन्य...वादीगण

बनाम

रूपनारायण प्रसाद एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **07.05.2025**	दी जाती है। वादीगण प्रतिस्थापन करें तदपश्चात् समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। कार्यालय जाँचोपरांत समन जारी करें। वाद दिनांक 21.05.2025 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	